न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट जिला डूंगरपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री ईश्वरलाल खटीक (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट

अनवान

वादी | | प्रतिवादी
श्री भैरवजी मोरडी बजरिये श्री लक्ष्मीशंकर वगैरा | बनाम | श्री पुष्करनाथ वगैरा

राजस्व वाद संख्या : 2022/10

दायर दिनांक :— 02.05.2023
निर्णय दिनांक :— 07.12..2023

इजराय प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत दरख्वास्त इजराय डिक्री आदेश 21 नियम 11 जा.दी

::निर्णय::

- वकील वादीगण द्वारा पेश इजराय डिक्री आदेश दिनांक 05.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सागवाडा के निर्णय तथा डिक्री दिनांक 07.06.2002 के अनुसार वाद वादी का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 815, 816, 227, 1175, 1176, 1177, 1178, 1255, 1671, 1672 मौजा मोरडी प्रतिवादी संख्या दो के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया गया। श्रीमान् भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री दिनांक 01.05.2008 के अनुसार पुनरावेदन स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के प्रकरण संख्या 78/97 निर्णय तथा डिक्री दिनांक 07.06.2002 में संशोधन करते हुए वाद में वर्णित परिशिष्ट अ व ब की सम्पूर्ण आराजी पर मन्दिर भैरवजी को खातेदार घोषित किया गया और उक्त आराजीयात पर वादीगण को काबिज कराने हेतु तहसीलदार सागवाडा को अधिकृत किया गया एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से उक्त आराजीयात में दखल नही करे। जिसके खसरा नम्बर निम्न है— **परिशिष्ट अ** में अंकित आराजी संख्या 491 डाबरी रकबा तेरह बिस्वा खसरा संख्या 817 पाटी एक बीघा नौ बिस्वा, खसरा संख्या 818 खाडावाली डाबरी रकबा एक बीघा, खसरा संख्या 876 उहोर वाली पाटी रकबा उन्नीस बिस्वा, खसरा संख्या 1012 भेतडा रकबा एक बीघा नौ बिस्वा, खसरा संख्या 1888 पाटी रकबा एक बीघा तथा **परिशिष्ट ब** के अनुसार आराजी संख्या 815 डाबरी रकबा आठ बिस्वा, खसरा संख्या 816 रकबा एक बीघा सोलह बिस्वा, खसरा संख्या 227 रकबा तीन बीघा अठारह बिस्वा, खसरा संख्या 1175 बावडीवाला रकबा सोलह बिस्वा, खसरा संख्या 1176 रास्ता तीन बिस्वा, खसरा संख्या 1177 बावडीवाला रकबा एक बीघा एक बिस्वा, खसरा संख्या 1255 रोपवाली डाबरी रकबा छः बिस्वा, खसरा संख्या 1671 बोरवाली रकबा ग्यारह बिस्वा खसरा सख्या 1670 बोरवाली रकबा दस बिस्वा का खातेदार वादी भैरवजी मन्दिर को घोषित किया गया है।

क्रमशः........

- श्री भैरवजी मोरडरी बजरिये वादी द्वारा न्यायालय डिक्री की पालना हेतु प्रस्तुत ईजराय का प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।
- प्रकरण में मद्युनान द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र बाबत् निष्पादन कार्यवाही को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उक्त निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत याचिका के विचाराधिन रहते रोके जाने के संबंध में प्रार्थना प्रस्तुत किया। इस बाबत् मद्युनान को कई अवसर न्यायहीत में दिए गए। मद्युनान दिनांक 14.10.2023, 04.11.2023, 18.11.2023, 25.11.2023 को अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय निर्णय में अनावश्यक देरी होना प्रतित होता है।
- प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान पठन किया गया। मेरें द्वारा पत्रावली का आद्योपन्त अध्ययन किया गया, निर्णय मेरीट के आधार पर किया गया।
- प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.06.2002 के निर्णय अनुसार उपखण्ड अधिकारी सागवाडा द्वारा मूर्ति श्री भैरवजी मोरडी बनाम श्रीमती गीता वगैरह का वाद संख्या 78/1997 दिनांक 07.06.2002 को आंशिक रूप से स्वीकार कर खसरा नम्बर 815, 816, 227, 1175, 1176, 1177, 1178, 1255, 1671, 1672 मौजा मोरडी प्रतिवादी 2 से हटाकर मन्दिर श्री भैरवजी के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए।
- उक्त आदेश के विरूद्व मंदिर मूर्ति भैरवजी मोरडी के द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व अपील संख्या 396/2003 राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में पेश की जो विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 01.05.2008 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ए व बी में वर्णित आराजियात को मंदिर मूर्ति भैरवजी को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आराजियात पर भैरवजी मोरडी को काबीज करने हेतु तहसीलदार सागवाडा को अधिकृत किया गया व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया।
- भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2008 के विरूद्व अपील मूर्ति श्री भैरवजी मोरडी बजरिये वादी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21.12.2021 को राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2008 में संशोधन करते हुए आदेश दिया गया कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ व ब जो प्रदर्श 9 व 10 है, डिक्री पर्चा का भाग रहेगा।
- उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्रीमान् भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णायानुसार ईजराय की पालना हेतु तहसीलदार गलियाकोट को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय निर्णय की पालना कर बाद पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/12/23

(ईश्वरलाल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)